



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21620

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अंतरण आवेदन (सिविल) संख्या - 1027 सन् 2023

श्रीमती अर्जु @ विमलयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उमाकांत परासरविपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : संदीप कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : अवध नारायण राय

न्यायालय संख्या - 35

ए.एफ.आर.

माननीय डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार सिंह तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अवध नारायण राय को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत दायर किया गया है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत दायर प्रकरण संख्या 925 सन् 2023 (उमाकांत बनाम अर्जु) को मेरठ के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय से बागपत जिले के सक्षम न्यायालय को स्थानांतरित करने की प्रार्थना की गई है।
3. प्रकरण की आदेश-पत्रिका से यह संकेत मिलता है कि दिनांक 16.1.2024 को जब प्रकरण नये प्रकरण के रूप में लिया गया, तो इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए आशयों पर विचार करते हुए कि बागपत न्यायालय में शिकायत प्रकरण संख्या 4275 सन् 2022 लंबित है तथा याचिकाकर्ता के अनुसार यह तलाक याचिका विपक्षी द्वारा मेरठ के परिवार न्यायालय में याचिकाकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से दायर की गई है, तथा यह भी ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता परित्यक्ता पत्नी है जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, नोटिस जारी करने का निर्देश दिया तथा तलाक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर स्थगन प्रदान किया।
4. आज, प्रकरण लिए जाने पर, विपक्षी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें विपक्षी से यह निर्देश प्राप्त है कि वर्तमान अंतरण आवेदन का विरोध न करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. याचिकाकर्ता-पत्नी की ओर से प्रस्तुत किए गए तथ्यों से यह संकेत मिलता है कि विपक्षी ने दिनांक 20.04.2023 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत याचिका मेरठ के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष दायर की जिसमें विवाह दिनांक 21.02.2020 को विघटित किए जाने की घोषणा मांगी गई। उक्त याचिका प्रकरण संख्या 925 सन् 2023 (उमाकांत बनाम अर्जु) के रूप में दर्ज की गई। उक्त कार्यवाही की सूचना याचिकाकर्ता को तामील की गई तथा मामला मेरठ परिवार न्यायालय के समक्ष लंबित है।

6. याचिकाकर्ता वर्तमान में अपनी माता-पिता के घर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ निवास कर रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार, मेरठ में कार्यवाही में उपस्थित होना असुविधाजनक तथा कठिनाईपूर्ण होगा। इन परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दायर किया गया है जिसमें मेरठ परिवार न्यायालय के समक्ष लंबित विवाह-विच्छेद प्रकरण को स्थानांतरित करने की प्रार्थना की गई है।

7. इस न्यायालय ने अभिलेख पर याचिकाओं, प्रस्तुत तर्कों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की वैधानिक योजना पर विचार किया।

8. धारा 24 सि.प्र.सं. उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय को किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या स्वतः संज्ञान में स्थानांतरित या वापस लेने की व्यापक तथा विवेकाधीन अधिकारिता प्रदान करती है। यह प्रावधान निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने, कठिनाई से बचने तथा न्याय के उचित प्रशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।

9. यह स्थापित सिद्धांत है कि सामान्यतः वादों, जो वाद का स्वामी है, को संस्थापन का मंच चुनने का अधिकार है तथा ऐसे चुनाव में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। धारा 24 सि.प्र.सं. सामान्य नियम का अपवाद है तथा न्याय के उद्देश्यों की मांग होने पर ऐसे चुनाव को निरस्त करने का न्यायालय को अधिकार प्रदान करती है।

10. वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अंतरण आवेदन का विरोध नहीं करना चाहता। स्थानांतरण का विरोध न किए जाने तथा वस्तुतः पक्षकारों की सहमति से होने का तथ्य प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण विचारणीय है। यद्यपि धारा 24 सि.प्र.सं. में "सहमति से अंतरण" शब्द का स्पष्ट उपयोग नहीं है, प्रावधान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो न्यायालय को स्थानांतरण आदेश देने से प्रतिबंधित करे जहां दोनों पक्षकार सहमत हों या विपक्षी कोई आपत्ति न उठाए।

11. जहां पक्षकार स्थानांतरण के प्रश्न पर एकमत हैं, सुविधा के संतुलन की विस्तृत तुलनात्मक जांच की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाती है। वाद के स्वामी के रूप में वादी का अधिकार स्वेच्छा से छोड़ा गया माना जाता है तथा किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में सहमति आधारित स्थानांतरण सामान्यतः न्याय के हित को बढ़ावा देता है, प्रक्रियात्मक विवाद से बचाता है तथा शीघ्र अधिनिर्णय की सुविधा प्रदान करता है।

12. जब स्थानांतरण की मांग की जाती है तथा उसका विरोध नहीं किया जाता तथा न्यायालय को कोई विधिक बाधा नहीं मिलती, तो ऐसा स्थानांतरण स्पष्ट रूप से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। कारणों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को दर्ज करने की आवश्यकता पक्षकारों की सहमति तथा स्थानान्तरण की उचितता के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए पूरी हो जाती है।

13. धारा 24 सि.प्र.सं. के अंतर्गत स्थानान्तरण की शक्ति विवेकाधीन है किंतु न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। वैवाहिक विवादों में “सुविधा का संतुलन” प्राथमिक मानदंड है। न्यायालयों ने लगातार यह धारणा व्यक्त की है कि जबकि “सुविधा” सापेक्ष शब्द है, भारतीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में स्थानान्तरण पर विचार करते समय पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

14. वैवाहिक कार्यवाहियों में न्यायालयों ने अवलोकन किया कि पत्नी की सुविधा को उचित विचार दिया जाना चाहिए तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत शक्ति प्रयोग का मूल सिद्धांत यह है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए।

15. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, तथा विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा वर्णित कठिनाई तथा विपक्षी की ओर से व्यक्त स्पष्ट “कोई आपत्ति नहीं” को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान प्रकरण धारा 24 सि.प्र.सं. के अंतर्गत शक्ति प्रयोग के लिए उपयुक्त है। पक्षकारों की सहमति से मांगा गया स्थानान्तरण तथा न्याय की पूर्ति में योग्य है।

16. तदनुसार, सिविल विविध अंतरण आवेदन निम्न निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है :-

(i) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत दायर प्रकरण संख्या 925 सन् 2023 (उमाकांत बनाम अर्जु) की कार्यवाही को मेरठ के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय से बागपत जिले के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को यहाँ वापस ली जाती है तथा स्थानान्तरित की जाती है।

(ii) प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मेरठ को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से पंद्रह दिन के भीतर सम्पूर्ण प्रकरण अभिलेख को बागपत जिले के स्थानान्तरित न्यायालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

(iii) स्थानान्तरित न्यायालय मामले को उस चरण से जहाँ से स्थानान्तरित किया गया है आगे बढ़ाएगा तथा कार्यवाही को शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करेगा।

17. पक्षकार स्थानान्तरित न्यायालय के समक्ष प्रकरण की शीघ्रता की भी प्रार्थना कर सकते हैं।

(डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

आर.के.के./-

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”